

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

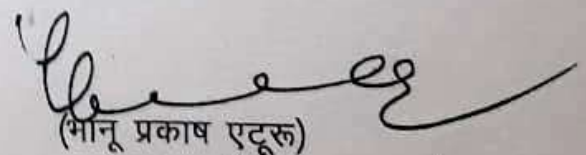
क्रमांक 15(2)असंगठित/खान/विधि/श्रम/2022 पार्ट 1/14092 दिनांक 16.05.2022

—: आदेश :-

खान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की कमी होने के कारण खान श्रमिकों के कल्याण हेतु सुझाव देने बाबत निम्नानुसार खान श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है :-

(अ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	—	अध्यक्ष
(ब)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	—	उपाध्यक्ष
(स)	राजकीय विभागों के प्रतिनिधि—		
	1 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग	—	सदस्य
	2 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
	3 प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	—	सदस्य
	4 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	—	सदस्य
	5 प्रमुख शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	—	सदस्य
	6 शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग	—	सदस्य
	7 शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	—	सदस्य
(द)	गैर सरकारी सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	—	सदस्य (5)
	श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर	—	सदस्य सचिव (पदेन)

खान श्रमिक कल्याण बोर्ड का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा तथा बोर्ड खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं, सिलिकोसिस पीडित श्रमिकों के कल्याण, खान श्रमिकों की सुरक्षा, अन्य कल्याणकारी गतिविधियों, अन्य कोई कार्य राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया जावेगा, आदि पर विचार विमर्श कर सुझाव देगा। बोर्ड के संचालन व वित्तीय व्यवस्था उपरोक्त विभिन्न राजकीय प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श कर की जायेगी।



(मानू प्रकाश एटूरू)

शासन सचिव

श्रम, कारखाना एवं बॉयलर,

ईएसआई विभाग राजस्थान, जयपुर

9/5